

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी परसाराम (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ...184... सन् 2021


अनुवानी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़
बनाम

—: आदेश :—

तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 53, 59, 60, 66 86 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवार व भू-अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट - "ए" एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ़ का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ के खसरा नम्बर 79/1 रकबा 0.1294 हैक्टेयर किस्म रास्ता में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.1294 हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 80/1 रकबा 0.1375 हैक्टेयर किस्म रास्ता भूमि में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.1375 हैक्टेयर भूमि एवं खसरा नम्बर 81/3 रकबा 0.1618 हैक्टेयर किस्म रास्ता में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि भूमि मे मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शों मे उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार किशनगढ़ ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने हेतु स्पष्ट अभिशंषा की है। पत्रावली के साथ संलग्न ग्राम रलावता की जमाबन्दी सम्वत् 2067-2070 के खाता संख्या नया 1 में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ख0नं0 79/1 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, ख0नं0 80/1 रकबा 0.1375 हैक्टेयर एवं ख0नं0 81/3 रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि की पूर्व से ही रास्ता दर्ज होकर राजस्व मानचित्र में पृथक-पृथक तरमीम हो रखी है। जिससे तहसीलदार (भू0अ0) किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 26/10/21 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

